



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16122021-231902
CG-DL-E-16122021-231902

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 651]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943

No. 651]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

भारतीय खाद्य निगम

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

सं. 134

सं. ईपी-7(1)2020.—खाद्य निगम अधिनियम, 1964 (1964 का 37वां) की धारा 45 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में संशोधन करने के लिए भारतीय खाद्य निगम एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

1. संक्षिप्त शीर्षक तथा आरंभ:

- (i) ये विनियम, भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) (छठवाँ संशोधन) विनियम, 2021 कहलाएंगे।
- (ii) ये सरकारी गजट में अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषा: इन विनियमों में शब्दों की परिभाषा और उनका अर्थ तथा पदों के पदनाम का अर्थ वही होगा जैसा कि खाद्य निगम अधिनियम, 1964 तथा भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 में दिया गया है।

3. भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारीवृंद) विनियम, 1971 के विनियम 54 में निम्नानुसार संशोधन किए गये हैं :-

- (क) मेजर पेनल्टी के तहत खंड (viii) और (ix) में आने वाले निगम शब्द के बाद शब्द / सरकार जोड़ा जाता है।
- (ख) मेजर पेनल्टी के तहत खंड (ix) के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ डाला गया है:

बशर्ते कि, हर मामले में जिसमें [आय के ज्ञात स्रोतों के असमानुपाती परिसंपत्ति को अधिग्रहित करने का आरोप अथवा स्वीकृति का आरोप] किसी भी व्यक्ति से कानूनी पारिश्रमिक के अलावा, उपहार लेने के उद्देश्य से

अथवा इनाम के रूप में या वहन करने के लिए क्या कोई आधिकारिक कृत्य किया गया है, खंड (viii) में उल्लिखित दंड - निगम/सरकार के तहत भावी रोजगार के लिए सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः अयोग्यता नहीं होगी) अथवा खंड (ix) - निगम/सरकार के तहत भावी रोजगार के लिए सेवा से बर्खास्तगी जो सामान्यतः अयोग्यता होगी) अधिरोपित किया जाएगा:

बशर्ते, यह भी है कि किसी भी अपवाद के मामले में और विशेष कारणों से लिखित रूप में दर्ज किए जाने पर, अन्य कोई दंड लगाया जा सकता है।

एम. के. गोगोई, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा/.513/2021-22]

टिप्पणी : मुख्य विनियम भारत के राजपत्र में दिनांक 08.05.1971 की अधिसूचना के माध्यम से प्रकाशित किए गए थे तथा तदनु रूप अंतिम बार निम्न के माध्यम से संशोधित किये गए।

क्र. सं.	शीर्षक	दिनांक
.1	भा० खा० नि०, विनियम (कर्मचारिवृंद) (पहला संशोधन), 2021	02.06.2021
2.	भा० खा० नि०, विनियम (कर्मचारिवृंद) (दूसरा संशोधन), 2021	02.06.2021
3.	भा० खा० नि०, विनियम (कर्मचारिवृंद) (तीसरा संशोधन), 2021	17.06.2021
.4	भा० खा० नि०, विनियम (कर्मचारिवृंद) (चौथा संशोधन), 2021	26.08.2021
.5	भा० खा० नि०, विनियम (कर्मचारिवृंद) (पाँचवाँ संशोधन), 2021	08.12.2021

FOOD CORPORATION OF INDIA NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

No. 134

No. EP.7(1)/2020.—In exercise of the powers conferred by Section 45 of Food Corporations Act, 1964 (37 of 1964) and with the previous sanction of the Central Government, the Food Corporation of India hereby makes the following Regulations further to amend the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971 namely:-

1. Short Title and Commencement:

- (i) These Regulations shall be called the Food Corporation of India (Staff) (Sixth Amendment) Regulations, 2021.
- (ii) These shall come into force from the date of Notification in the Official Gazette.

2. Definitions: The definition and meaning of the words and designation of posts in these Regulations shall have the same meaning as contained in the Food Corporations Act, 1964 and the Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971.

3. The following amendments are made in Regulation 54 in Food Corporation of India (Staff) Regulations, 1971:

- (a) The word “/Government” is added after the word Corporation appearing in clause (viii) and (ix) under Major Penalties.
- (b) The following paragraph is inserted after clause (ix) under Major Penalties:

Provided that, in every case in which [the charge of possession of assets disproportionate to known sources of income or the charge of acceptance] from any person of any gratification, other than legal remuneration, as a motive or reward for doing or for bearing to do any official act is established, the penalty mentioned in Clause (viii) - removal

from service which shall not be a disqualification for future employment under the Corporation / Government) or Clause (ix) - dismissal from service which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Corporation / Government) shall be imposed:

Provided further that in any exceptional case and for special reasons recorded in writing, any other penalty may be imposed.

M. K. GOGOI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./513/2021-22]

Note: The Principal Regulations were published in the Gazette of India vide Notification dated 8.5.1971 and subsequently have been amended being lastly vide:-

Sl. No	Title	Dated
1	FCI(Staff) (1st Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
2	FCI(Staff) (2nd Amendment) Regulations, 2021	02.06.2021
3	FCI(Staff) (3rd Amendment) Regulations, 2021	17.06.2021
4	FCI(Staff) (4th Amendment) Regulations, 2021	26.08.2021
5	FCI(Staff) (5th Amendment) Regulations, 2021	08.12.2021